

कार्यालय-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।

पत्रांक:-.....५१७४...../ ल० सि० प्र०, जमुई, दिनांक:- ०५-१२-२५

प्रेषक,

ई० मिथिलेश कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।
Email ID: ee.mi.jam-bih@gov.in

सेवा में,

निदेशक,
सूचना जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

आमंत्रण सूचना संख्या-12/2025-26 का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई अन्तर्गत आमंत्रण सूचना संख्या-12/2025-26 का प्रकाशन हेतु दो प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे किसी दो मान्यता प्राप्त हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

- अनु०:- 1. हार्ड कॉपी दो अदद।
2. सॉफ्ट कॉपी (पैन ड्राइव) में।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियन्ता,

लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।


५-१२-२५

विज्ञापन के प्रकाशन / प्रसारण हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ सलग्न किया जाने वाला प्रपत्र

1. कार्यालय का नाम :-

राज्य सिविल प्रपत्र, जयपुर

2. विभाग का नाम (जिसके अंतर्गत कार्यालय है) :-

राज्य लोक सेवा आयोग, पटना

3. विज्ञापन दाता पदाधिकारी का नाम :-

डॉ. मिथिलेश कुमार

4. विज्ञापन दाता पदाधिकारी का पदनाम :-

कार्यपालक अधीक्षक

5. मोबाइल नंबर :-

7779942187

6. ई-मेल :-

ee.ms.jayp-314@raj.in

7. मीडिया केटेगरी :-

प्रिंट मीडिया

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए

8. विज्ञापन का माध्यम :-

News Paper

Magazine

9. News Paper के लिए :-

विज्ञापन का प्रकार :-

Classified

Display

10. दर्म :-

General Basis

Urgent

(क) Tender के मामले में General basis हेतु परिमाण (BOQ) बिक्री प्रारम्भ की तिथि के 15 दिन पहले विज्ञापन दें एवं Urgent हेतु 7 दिन पहले विज्ञापन दें।

(ख) Procurement के मामले में General basis हेतु कोटेशन(Quotation) जमा करने की अंतिम तिथि के 15 दिन पहले विज्ञापन दें एवं Urgent हेतु 7 दिन पहले विज्ञापन दें।

(ग) अन्य के लिए General basis में प्रकाशन से 3 दिन पहले एवं Urgent में अगले दिन के लिए विज्ञापन दें।

11. Classified के लिए :- Tender Procurement Recruitment Notice

12. यदि निविदा (Tender) हो तो :-

a. परिमाण (BOQ) बिक्री के आरंभ होने की तिथि :- 24.12.2025

b. परिमाण (BOQ) बिक्री की अंतिम तिथि :- 30.12.2025

c. Tender जमा करने की अंतिम तिथि :- 30.12.2025

d. प्राकल्पित राशि :-

13. यदि Procurement हो तो :-

a. कोटेशन (Quotation) जमा करने की अंतिम तिथि :-

14. विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि :-

15. विज्ञापन का संस्करण -

16. विज्ञापन से सम्बंधित विशिष्ट अपेक्षा (Language/Size, etc) :-

17. Display के लिए :-

a. चयन करे :- Colour Black & White

Electronic मीडिया में प्रसारण के लिए

18. मीडिया का माध्यम :- TV News Channel Railway Station Radio Cinema Hall Airport

19. प्रसारण केन्द्र / स्थान :-

20. प्रसारण प्रारंभ करने की तिथि :-

प्रसारण की अंतिम तिथि :-

21. विज्ञापन सम्बंधित विवरण :-

22. आवेदन पत्र के लिए निम्न दस्तावेज़ सलंग्न कर दिया गया है :-

(क) प्रिंट मीडिया के लिए :-

a. विभाग/ कार्यालय का अग्रसारण पत्र (अधिकतम 2MB आकार, प्रारूप PDF) हाँ / नहीं

b. प्रकाशन हेतु दस्तावेज़ निविदा/ नोटिस/ खरीद/भर्ती (अधिकतम 20MB आकार, प्रारूप MS-Word(DOCX)) हाँ / नहीं

c. पोर्टल पर अपलोड हेतु दस्तावेज़ (निविदा/ नोटिस/ खरीद/भर्ती से सम्बंधित) (अधिकतम 15MB आकार, प्रारूप PDF) हाँ / नहीं


(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए :-

a. विभाग का अग्रसारण पत्र (अधिकतम 2MB आकार, प्रारूप PDF) हाँ / नहीं

b. प्रसारण हेतु मीडिया file (अधिकतम 20MB आकार, प्रारूप MP4) हाँ / नहीं

मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

तिथि :- 04.11.2025



पदा. का हस्ताक्षर
एवं
मोहर

नोट - कृपया सम्बंधित बॉक्स में का निशान लगाये।

- विज्ञापन नीति 2016 के अनुसार विज्ञापन के निर्गम हेतु समाचार पत्र /पत्रिकाओं के चयन में विभाग का निर्णय अंतिम होगा तथा विज्ञापनों के आकार एवं उसके डिजाईन में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार सुचना एवं जन संपर्क विभाग में निहित है।

- किसी भी कठिनाई निवारण हेतु ई - मेल :- eadvertisement.iprd@gmail.com पर मेल भेजे।

लघु जल संसाधन विभाग

“जल-जीवन-हरियाली अभियान”

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-12/2025-26

केवल ई० निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर

संवेदकों से दर प्रतिशत दर पर निविदा

पत्रांक-41.38 दिनांक-4.12.25

1.	विज्ञापनदाता का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई।
2.	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	दिनांक-04.12.2025
3.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक-24.12.2025 से 30.12.2025 के अपराह्न 5.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
4.	प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय में दिनांक 26.12.2025 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।
5.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक-30.12.2025 को अपराह्न 5.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
6.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक-31.12.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से सिर्फ वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
7.	तकनीकी निविदाओं मूल्यांकन	दिनांक-31.12.2025 से लगातार
8.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	सक्षम प्राधिकार द्वारा बाद में घोषित किया जायेगा।
9.	निविदा की वैधता की अवधि	180 दिन
10.	कार्य की विवरणी	

क्र० सं०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि (रुपये में)	परिमाण -विपत्र, का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) (रुपये में)	बेल्ड्रॉन को देय बीड प्रोसेसिंग मूल्य, सेवा शुल्क सहित (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रानी पोखर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	सिकन्दरा	50.65	101300.00	10000.00	590.00	6 माह
2	धनवा (धनामा) पोखर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	अलीगंज	197.86	395800.00	10000.00	3450.00	12 माह
3	रमना आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	55.75	111500.00	10000.00	590.00	6 माह

4	कदमा आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	58.95	117900.00	10000.00	590.00	6 माह
5	सोना बांध आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	सोनो	76.74	153500.00	10000.00	3540.00	9 माह
6	धर्मपुर बडकी आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	अलीगंज	61.33	122600.00	10000.00	590.00	6 माह

11. (i) 02 करोड़ एवं उससे अधिक राशि की निविदा हेतु कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का कार्यावंटन आदेश निर्गत होने के बाद इस राज्य में लघु जल संसाधन विभाग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) 25 लाख से ऊपर एवं 02 करोड़ से कम राशि की निविदा में जो संवेदक लघु जल संसाधन विभाग में निबंधित है, केवल वही संवेदक सक्षम श्रेणी में भाग ले सकते हैं।
- (iii) 25 लाख से कम राशि के कार्य के लिए श्रेणी-IV में जिला स्तर पर निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
12. (क) e-Tendring/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online Mode (e-payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card). Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- (ख) e-Tendring/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (e-payment mode) अथवा Online Mode के तहत Bid Security की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit card). Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- (ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement Portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time of submission mentioned in the NIT. The department does not take any responsibility for the delay/non submission of Tender/non Reconciliation of online payment caused due to non availability of Internet connection, Network Traffic Jam/Holidays or any other reasons".
- (घ) "BSEDC processing fee and Tender Fee/BOQ fee has to be paid through e-payment mode only. Bid Security may be paid either through online.
13. Physical mode/Manual payment system के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारंटी (as per the format in SBD) जो बीड के मान अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन + 45 दिन=165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में होना चाहिए, जो कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई के पदनाम से प्रतिज्ञित होना चाहिए। परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र की राशि के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि Bid Security के रूप में देना होगा। Bid Security के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारंटी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड होने की तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर संवेदक की निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
14. प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि मान्य होगी।
15. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात या अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण-पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। संवेदक मूल कागजातों को स्कैन कर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रम अंकित करेंगे ताकि, किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख pdf., M.S. Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किया जायें अन्य Format में Upload document के Download/Open नहीं होने पर इसके कागजात पर विचार नहीं होगा। कोई दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download एवं Visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे। अनावश्यक कागजात वांछित नहीं होगा।
16. इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि तकनीकी कारणों के कारण अंतिम समय के कठिनाईयों से बचने हेतु बीड अंतिम समय के पूर्व ही अपलोड कर लें।

17.	अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) अनुश्रवण लघु जल संसाधन विभाग पटना के पत्रांक-1010(मो) दिनांक 18.07.2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No. 9941/2022 द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender/Unlimited Rate) मान्य होगी। एक से अधिक निविदादाता का न्यूनतम दर समान होने पर लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
18.	मिट्टी कार्य मद के लिए अनुसूचित दर से अधिक अथवा कम उद्दृत दर की गणना खनन कर (Royalty) घटाकर की जायेगी।
19.	लोकहित/कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए जैसे सभी निविदादाताओं की निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा। जिनके विरुद्ध पूर्व में निष्पादित/प्रक्रियाधीन निविदाओं में संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों के फर्जी होने का साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये हैं या उनके विरुद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 एवं निविदा में निहित शर्तों के आलोक में एफ0आई0आर0 दर्ज करने एवं डिबार/कालीकृत करने की करने की कार्रवाई की गयी है या प्रक्रियाधीन है।
20.	Eligibility Criteria के लिए लघु जल संसाधन विभाग का पत्रांक-1374 (मो), दिनांक 05.12.2017 एवं 746 (मो), दिनांक 04.08.2021 तथा पत्रांक 1046 (मो), दिनांक 29.05.2020 एवं मुख्य अभियन्ता (यो0+अनु0+भुगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक-474 दिनांक 01.06.2023 का पालन किया जायेगा।
21.	निविदा देने के पूर्व संवेदक प्रस्तावित कार्य स्थल से अवगत हो लेंगे। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी कारण कार्य तुरंत शुरू होने में कोई दिक्कत (स्थानीय ग्रामीणों, अतिक्रमण इत्यादि) होने की संभावना हो तो संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचित करेंगे। ऐसी सभी संभावनाओं को प्री बीड में अनिवार्य रूप से बताया जाय। अतः संवेदक से आशा की जाती है वे प्री बीड मीटिंग में आने से पूर्व स्थल का पूरा भ्रमण कर लेंगे एवं स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों से संपर्क कर लेंगे।
22.	कार्य का भुगतान विभाग द्वारा निधि की उपलब्धता के पश्चात् किया जायेगा। विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
23.	सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
24.	बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1%(एक प्रतिशत) राशि लेवर सेस के रूप में देय होगी जो विपत्र से काट ली जायेगी।
25.	यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।
26.	समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा दिया गया अनुदेश, निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा एवं इस विज्ञप्ति की सभी कडिका/शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।
27.	चरित्र प्रमाण-पत्र एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र संबंधित जिला के एस०पी० कार्यालय से निर्गत होनी चाहिए।
28.	कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक को सरकारी लैब से अपने खर्च पर कराना आवश्यक होगा।
29.	निविदाकारों के द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो।) Eproc2 पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। लघु जल संसाधन विभाग पटना के पत्रांक 147 (मो) दिनांक 31.01.2024 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-163 (E) दिनांक 10.01.2024 का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
30.	"I, the undersigned, do thereby certify that all statement made in the require attachments are ture and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing." क शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31.	इस निविदा में जैसे निविदाकारों के निविदा पर विचार किया जाएगा, जो किसी भी विभाग से Blacklisted/Debarred नहीं हो एवं उनके स्तर पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित कोई कार्य, कार्य समाप्ति की अवधि तक लंबित नहीं है। इस संबंध में निम्नांकित शपथ पत्र देना अनिवार्य है। (क) लघु जल संसाधन विभाग में कोई कार्य एकरारित कार्य समाप्ति अविध तक लंबित नहीं है का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (ख) डिबार/कालीकृत/रिसाईन्ड नहीं है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

32.	संवेदक को कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सचरित्रता एवं सदव्यवहारिकता से संबंधित शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33.	कोई निकटतम संबंधी/पारिवारिक संबंधी (अभिप्रेरित पति,पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन एवं ससुराल से संबंधित सदस्य) के संबंधित कार्यालयों में कार्यरत नहीं है, से संबंधित शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य है।
34.	बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना के पूरी निविदा अथवा इसके किसी खास अंश को किसी स्तर पर रद्द करने एवं विस्तारित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित होगा।
35.	विशेष जानकारी हेतु कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई/ अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/ मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है एवं वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है तथा ईटेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु Toll Free Number: 18005726571 सहायता कक्ष Mjunction Services Limited RJ Complex, 2 nd floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.- Shastri Nagar, Patna-800014, Bihar पर Working hours: 8AM to 7PM (All days in week except Sunday and few selected state holidays) संपर्क किया जा सकता है।
36.	बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के तहत जी.एस.टी./स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
37.	सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा।
40.	विभागीय पत्रांक-746 दिनांक-04.08.2021 के अनुरूप निविदा में अभिलेख संलग्न करना होगा।
41.	निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो) एकरारनामा के पूर्व लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
42.	संवेदक को निविदा के साथ अपना पत्राचार पता एवं स्थायी पता, ई-मेल एवं दूरभाष संख्या या मोबाईल एवं व्हाट्सएप नम्बर देना अनिवार्य होगा।
43.	निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे तथा निविदा में सफल निविदाकारों को आवश्यक कागजात जैसे-सभी शपथ पत्र (मूल में), बैंक गारंटी (मूल में), एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई में जमा करना अनिवार्य होगा। विभागीय पत्रांक-147 (मो0) दिनांक-31.01.2024 के आलोक में दिये गये निदेश पालन करना अनिवार्य होगा।
44.	किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
45.	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार का पत्रांक/एम0, पटना दिनांक 19.11.2024 के अनुसार कार्य में व्यूह लघु खनिजों का चालान अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा। चालान नहीं जमा करने पर पत्र में दिये गए निर्देश के अनुसार रायल्टी का 25 गुणा कटौती की जायेगी।
46.	किसी प्रकार का आपत्ति निविदा में भाग लेने वाले संवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर में शपथ पत्र के साथ देने पर ही विचार किया जायेगा।
47.	जी0एस0टी0 एवं पैन का नंबर/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
48.	प्रत्येक योजना का शपथ पत्र अलग-अलग देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमान्य कर दिया जायेगा।
49.	किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाइट तथा Eproc2 पर प्रकाशित किया जायेगा।
50.	निविदा वर्णित योजना का एकरारनामा F2 Form में किया जायेगा।
51.	इस विज्ञप्ति की सभी कड़िका/शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।


 कार्यपालक अभियन्ता
 लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।
 4-12-25